न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 62/2020

जगदीश प्रसाद उम्र 65 वर्ष पुत्र गणपत राम जाति जाट निवासी बिसाउ तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू।
2. संजय कुमार पुत्र हरफल सिंह जाति जाट निवासी लुटू तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

— रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ आदेश तहसीलदार मलसीसर
कमांक/भू.अ./2020/3026 दिनांक 14.10.2020

उपस्थितिः—

1 .श्री विनोद गिल , एडवोकेट ———— ————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट——————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय— दिनांक 17.08.2021

उक्त अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मलसीसर कमांक/भू.अ./2020/3026 दिनांक 14.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अपीलांट का कथन है कि रेस्पोंडेंट संजयकुमार ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष इस आशय का पेश किया कि पुरानी पगडण्डी खुलवाने पेश किया जिसकी पुश्त पर दिनांक 14.10.2020 को अदालत मातहत ने आदेश पारित कर दिया कि उक्त प्रकरण में जांच कर यदि रास्ता अवरूद्ध है तो मौके पर प्रचलित रास्ता खुलवाया जाना सुनिश्चित करें एवं पालना रिपोर्ट से अवगत करायें। दिनांक 21.10.2020 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा दिनांक 20.11.2020 को भी मौके पर पटवारी व गिरदावर गये। आदेश दिनांक 14.10.2020 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट [illegible] सुन[illegible] का कोई अवसर प्रदान नहीं किया, कोई नोटिस नहीं दिया मनमर्जी से सुनवाई का अव[illegible]दिये बिना ही रूल ऑफ ला की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:42:55 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

पालना किये बिना ही आदेश पारित कर दिया है। अदालत मातहत ने ड्यू प्रोसेस ऑफ ला की पालना किये बिना आदेश पारित किया है। अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा रही है और उसके खेत से नया रास्ता कायम करने की धमकी दी जा रही है। अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत दिनांक 14.10.2020 निरस्त किया जावे तथा अदालत मातहत को निर्देशित किया जावे कि पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– रेस्पोंडेंट संजयकुमार ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष इस आशय का पेश किया कि पुरानी पगडण्डी खुलवाने पेश किया जिसकी पुश्त पर दिनांक 14.10.2020 को अदालत मातहत ने आदेश पारित कर दिया कि उक्त प्रकरण में जांच कर यदि रास्ता अवरूद्ध है तो मौके पर प्रचलित रास्ता खुलवाया जाना सुनिश्चित करें एवं पालना रिपोर्ट से अवगत करायें। दिनांक 21.10.2020 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा दिनांक 20.11.2020 को भी मौके पर पटवारी व गिरदावर गये आदेश दिनांक 14.10.2020 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया, कोई नोटिस नहीं दिया मनमर्जी से सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रूल ऑफ ला की पालना किये बिना ही आदेश पारित कर दिया है। अदालत मातहत ने ड्यू प्रोसेस ऑफ ला की पालना किये बिना आदेश पारित किया है। अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा रही है और उसके खेत से नया रास्ता कायम करने की धमकी दी जा रही है। अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत दिनांक 14.10.2020 निरस्त किया जावे तथा अदालत मातहत को निर्देशित किया जावे कि पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं करें।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान [illegible]गण की बहस पर मनन किया। हस्गत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय [illegible] किये, उसे बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना [illegible] आदेश पारित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:42:55 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

है जो विधिक प्रावधानों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित पारित किया गया है । इस प्रकार इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2020/3026 दिनांक 14.10.2020 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते के संबंध में प्रकरण दर्ज कर स्वयं मौका निरीक्षण कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

17.08.21

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.17 18:42:55 IST
Reason: SelfAttested